

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, जयपुर

ई-मेल : raj.palanhar@rajasthan.gov.in, फोन : 0141-2226604, 2226621

क्रमांक: एफ. 15 (3) (101)/सा.सु./पालनहार/सान्याअवि/2021-22/ 53802

जयपुर, दिनांक : 03/01/2021

कार्यालय आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक 2416 दिनांक 05.04.2021 के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये निम्न आहरण एवं वितरण अधिकारियों को पालनहार योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति मद में निम्नानुसार राशि का एतद् द्वारा बजट आवंटित किया जाता है

क्र. सं.	जिला	ब्लॉक	IFMS Code	राशि (लाख रुपये में) बजट आवंटन
1.	Alwar	Thanagazi	bdt.34788	3.54
2.	Baran	Atru	bdt.34803	3.00
3.	Baran	Baran	bdt.34804	2.20
4.	Baran	Chhabra	bdt.34805	1.00
5.	Baran	Shahbad	bdt.34808	1.00
6.	Bharatpur	Rupbas	bdt.34833	20.00
7.	Bharatpur	Sewar	bdt.34834	20.00
8.	Dhaulpur	Saipau	bdt.34888	30.00
9.	Dungarpur	Chikhali	bdt.34891	1.00
10.	Dungarpur	Galiyakot	bdt.34894	1.00
11.	Hanumangarh	Hanumangarh	bdt.34909	2.00
12.	Hanumangarh	Pilibangan	bdt.34911	4.56
13.	Jodhpur	Baori	bdt.34967	14.00
14.	Jodhpur	Bapini	bdt.34969	2.00
15.	Jodhpur	Bilara	bdt.34971	17.61
16.	Jodhpur	Osian	bdt.34976	10.00
17.	Karauli	Karauli	bdt.34983	25.00
18.	Nagaur	Kuchaman	bdt.34997	10.00
19.	SawaiMadhopur	Gangapur	bdt.35031	1.93
TOTAL				169.84

उक्त राशि निम्न बजट शीर्षक से आहरित की जायेगी ।

मांग संख्या - 51

2225 अनुसूचित जातियो, अनु. जनजातियो तथा अन्य पिछडे वर्गो का कल्याण

01 अनुसूचित जातियो का कल्याण

196 जिला परिषदो/जिला स्तरीय पचायतो को सहायता

(13) अनुसूचित जाति के निराश्रित बच्चो हेतु पालनहार योजनान्तर्गत सहायता

[00]

12 सहायतार्थ अनुदान

(राज्य निधि)

- 1 आवंटित बजट का उपयोग योजना के नियमों, दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर जारी आदेशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करते हुये किया जावे।
- 2 आवंटित बजट का उपयोग योजना के नियमों एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार नहीं करने पर आहरण एवं वितरण अधिकारी/योजना प्रभारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
- 3 आवंटित बजट से अधिक व्यय नहीं करें।
- 4 बजट आवंटन को ही व्यय की स्वीकृति नहीं समझी जावे। व्यय हेतु आवश्यक स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त कर लें।
- 5 शेष शर्तें योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार यथावत र

(ओ.पी. बुनकर)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक: एफ. 15 (3) (101)/सा.सु./पालनहार/सान्याअवि/2021-22/ 53803-845
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ:-

जयपुर, दिनांक : 03/11/2021

1. महालेखाकार, लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर।
2. वित्तीय सलाहकार, सान्याअवि, मुख्यावास।
3. सहायक लेखाधिकारी (अंक मिलान), मुख्यावास।
4. उपनिदेशक/सहायक निदेशक, सान्याअवि,
5. ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सान्याअवि,
6. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यावास को आवंटित बजट को ऑनलाइन करने हेतु।
7. आदेश पत्रावली।


2/11/22
अतिरिक्त निदेशक (सा.सु.)

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, जयपुर

ई-मेल : raj.palanhar@rajasthan.gov.in, फोन : 0141-2226604, 2226621

क्रमांक: एफ. 15 (3) (101) / सा.सु./पालनहार/सान्याअवि/2020-21/ 53891

जयपुर, दिनांक : 03/11/2021

कार्यालय आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक 2416 दिनांक 05.04.2021 के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये निम्न आहरण एवं वितरण अधिकारियों को पालनहार योजनान्तर्गत सामान्य मद में निम्नानुसार राशि का एतद् द्वारा बजट आवंटित किया जाता है:-

राशि (लाख रुपये में)

क्र. सं.	जिला	ब्लॉक	IFMS Code	बजट आवंटन
1.	Alwar	Bansur	bdt.34777	30.00
2.	Baran	Chhipabarod	bdt.34806	3.00
3.	Baran	Kishanganj	bdt.34807	10.00
4.	Baran	Shahbad	bdt.34808	2.00
5.	Barmer	Sindhari	bdt.34824	2.91
6.	Bharatpur	Rupbas	bdt.34833	50.00
7.	Dhaulpur	Saipau	bdt.34888	50.00
8.	Jodhpur	Baori	bdt.34967	10.00
9.	Jodhpur	Bapini	bdt.34969	3.00
10.	Jodhpur	Bilara	bdt.34971	15.13
11.	Karauli	Karauli	bdt.34983	15.00
12.	Udaipur	Lasadiya	bdt.35059	3.50
TOTAL				194.54

उक्त राशि निम्न बजट शीर्षक से आहरित की जायेगी।

मांग संख्या - 33

- 2235 अनुरूचित जातियों, अनु. जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण
02 अनुरूचित जनजातियों का कल्याण
196 जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता
(19) अनुरूचित जनजाति के निराश्रित बच्चों हेतु पालनहार योजनान्तर्गत सहायता
[07]
12 सहायतार्थ अनुदान
(राज्य निधि)

- आवंटित बजट का उपयोग योजना के नियमों, दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर जारी आदेशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करते हुये किया जावे।
- आवंटित बजट का उपयोग योजना के नियमों एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार नहीं करने पर आहरण एवं वितरण अधिकारी/योजना प्रभारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
- आवंटित बजट से अधिक व्यय नहीं करें।
- बजट आवंटन को ही व्यय की स्वीकृति नहीं समझी जावे। व्यय हेतु आवश्यक स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त कर लें।
- शेष शर्तें योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार यथावत रहेगी।

31

(ओ.पी. बुनकर)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

जयपुर, दिनांक : 03/11/2021

क्रमांक: एफ. 15 (3) (101) / सा.सु./पालनहार/सान्याअवि/2021-22/ 53892-933
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ:-

- महालेखाकार, लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर।
- वित्तीय सलाहकार, सान्याअवि, मुख्यावास।
- सहायक लेखाधिकारी (अंक मिलाप), मुख्यावास।
- उपनिदेशक/सहायक निदेशक, सान्याअवि,
- ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सान्याअवि,
- एनालिसिस कम प्रोग्रामर, मुख्यावास को आवंटित बजट को ऑनलाइन करने हेतु।
- आदेश पत्रावली।

(फेद)
31/11/21

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, जयपुर

ई-मेल : raj.palanhar@rajasthan.gov.in, फोन : 0141-2226604, 2226621

क्रमांक: एफ. 15 (3) (101)/सा.सु./पालनहार/सान्याअवि/2020-21/53846

जयपुर, दिनांक : 03/11/2021

कार्यालय आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक 2416 दिनांक 05.04.2021 के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये निम्न आहरण एवं वितरण अधिकारियों को पालनहार योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति मद में निम्नानुसार राशि का एतद् द्वारा बजट आवंटित किया जाता है:

राशि (लाख रुपये में)

क्र. सं.	जिला	ब्लॉक	IFMS Code	बजट आवंटन
1.	Baran	Anta	bdt.34802	7.60
2.	Baran	Atru	bdt.34803	3.00
3.	Baran	Baran	bdt.34804	1.50
4.	Baran	Chhabra	bdt.34805	1.00
5.	Baran	Chhipabarod	bdt.34806	3.00
6.	Baran	Kishanganj	bdt.34807	3.50
7.	Baran	Shahbad	bdt.34808	1.00
8.	Bharatpur	Pahari	bdt.34832	0.95
9.	Bharatpur	Rupbas	bdt.34833	2.00
10.	Bharatpur	Sewar	bdt.34834	2.00
11.	Churu	Churu	bdt.34872	0.52
12.	Dhaulpur	Saipau	bdt.34888	0.30
13.	Hanumangarh	Hanumangarh	bdt.34909	2.00
14.	Hanumangarh	Pilibangan	bdt.34911	0.37
15.	Jodhpur	Baori	bdt.34967	3.00
16.	Jodhpur	Bapini	bdt.34969	0.50
17.	Jodhpur	Osian	bdt.34976	2.00
18.	Udaipur	Lasadiya	bdt.35059	15.00
TOTAL				49.24

उक्त राशि निम्न बजट शीर्षक से आहरित की जायेगी ।

मांग संख्या - 30

- 2225 अनुसूचित जातियों, अनु. जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण
02 समाज कल्याण
196 जिला परि. दों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता
(12) अन्य कार्यक्रम
[00] निराश्रित बच्चों हेतु पालनहार योजनान्तर्गत सहायता
12 सहायतार्थ अनुदान
(राज्य निधि)

1. आवंटित बजट का उपयोग योजना के नियमों, दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर जारी आदेशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करते हुये किया जावे।
2. आवंटित बजट का उपयोग योजना के नियमों एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार नहीं करने पर आहरण एवं वितरण अधिकारी/योजना प्रभारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
3. आवंटित बजट से अधिक व्यय नहीं करें।
4. बजट आवंटन को ही व्यय की स्वीकृति नहीं समझी जावे। व्यय हेतु आवश्यक स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त कर लें।
5. शेष शर्तें योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार यथावत रहेंगी।

(ओ.पी. बुनकर)


निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक: एफ. 15 (3) (101)/सा.सु./पालनहार/सान्याअवि/2021-22/53847-890

जयपुर, दिनांक : 03/11/2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ:-

- 1 महालेखाकार, लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर।
- 2 वित्तीय सलाहकार, सान्याअवि, मुख्यावास।
- 3 सहायक लेखाधिकारी (अंक मिलान), मुख्यावास।
- 4 उपनिदेशक/सहायक निदेशक, सान्याअवि,
- 5 ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सान्याअवि,
- 6 एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यावास को आवंटित बजट को ऑनलाइन करने हेतु।
- 7 आदेश पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक (सा.सु.)